



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdadmncce@gmail.com

Ph. NO. 0141-2702247 (0)

क्रमांक: एफ-1(13)पीएस/निकाशि/2018/655

दिनांक: 01-04-2021

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कार्मिकों को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा अनुसार संबंधित वर्ष की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नामों के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं० एल-05 (L-05) में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापन	चयन तिथि
1	वर्ष 2019-20 की रिव्यू डीपीसी- श्री मणिलाल परमार (अ०जा०), च०श्रे० कर्मचारी	राज० महा०, बांसवाड़ा	01-03-2020
2	श्री दीपक कुर्दिया (अ०जा०), च०श्रे० कर्मचारी	राज० महा०, ब्यावर	01-03-2020
3	वर्ष 2020-21 की रिव्यू डीपीसी- श्री खेमचन्द महावर (अ०जा०), च०श्रे० कर्मचारी	राज० महा०, टोंक	01-04-2020

उक्त कार्मिक अपने पदोन्नत पदों को यथा आवश्यकता अस्थायी तौर पर कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नत कार्मिकों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रभावी होंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 10-04-2021 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें। किसी भी कार्मिक की कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

(सिदेश लाल) :
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राज०, जयपुर को उनके पत्रांक प.4(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दि० 19-3-21 के क्रम में।
3. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबंधित कार्मिकों की पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने की सूचना अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में अविलम्ब आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email-jdadmncce@gmail.com पर भिजवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. स्थापना शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

... 1.4.2021
(डॉ० कै० एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)